VII मुद्दे और परिदृश्य

हाल के वर्षों में राजकोषीय स्थिति में देखा गया सुधार बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए एक नियम आधारित फ्रेमवर्क, जो कि राजकोषीय पुनर्गठन मार्ग द्वारा समर्थित है, के अंतर्गत राजकोषीय सुधार एवं समेकन प्रक्रिया को जारी रखकर प्राप्त किया गया है। वैश्विक वित्तीय संकट के परोक्ष प्रभाव एवं आर्थिक गतिविधियों में आयी परिणामी मंदी ने राज्यों के वित्त को प्रभावित किया है। हाल में, राज्य वित्त के राजस्व और व्यय के लक्ष्य हासिल न होने के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं जो राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया में अड़चन डाल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के उबरने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाने पर राजस्व को बढ़ाने और व्यय को युक्तिसंगत बनाने के साथ-साथ और नियम आधारित ढांचे के सशक्तीकरण के माध्यम से राजकोषीय सुधार एवं समेकन की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को कई चुनौतियों से निपटना होगा जैसे कि राजस्व पारदर्शिता के स्तर में सुधार लाना, नकदी शेष की बड़ी राशि का प्रबंधन, राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु राशि जुटाना एवं छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

1. परिचय

7.1 हाल ही में राज्य वित्त में देखा गया राजकोषीय सुधार एवं समेकन आर्थिक मंदी के कारण आए दबाव के कारण हुआ है। इस अध्याय में राज्य सरकारों के समक्ष पेश आने वाले उन मुद्दों एवं चुनौतियों पर विशेष बल दिया गया है जो राज्य सरकारों को कर एवं करेतर दोनों ही स्त्रोतों से संसाधन जुटाने में तेजी लाने, व्यय की गुणवत्ता बढ़ाने, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग / राज्य वेतन आयोगों के कार्यान्वयन, अतिरिक्त नकद राशियों की बड़ी मात्रा का प्रबंधन, राजकोषीय पारदर्शिता को उन्नत करने, राजकोषीय नियमों को सशक्त करने एवं राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रम उपलब्ध कराने में पेश आती है। 2009-10 में राजस्व घाटे के पुनः बढ़ने एवं बढ़ती हुई जीएफडी, प्रतिबद्ध किन्तु गैर-विकासात्मक व्यय का बढ़ता हुआ अंश, सामाजिक क्षेत्र के व्यय का घटता हुआ अंश एवं निम्न और घटते हुए करेतर राजस्व के मद्देनजर, राज्य सरकारों को कर एवं करेतर संसाधनों से राजस्व संग्रहण में सुधार करने के लिए एवं अपने व्यय को युक्तिसंगत बनाने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है।

2. राजस्व बढ़ाना

7.2 वैश्विक मंदी के कारण आर्थिक गतिविधियों में कमी आने के कारण राज्यों के कुल राजस्व पर उनके स्वयं के कर राजस्व तथा हिस्सेदारी वाले कर के रूप में केन्द्र से राज्य को होने वाले न्यागमन (डिवोल्यूशन) और केंद्र से राज्यों को मिलने वाले अनुदान दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हाल ही में उच्च केन्द्रीय अंतरणों के साथ राजस्व में आई उछाल ने राज्य को राजस्व अधिशेष जुटाने में सहायता की। अर्थव्यवस्था में मंदी के परिणामस्वरूप वैट, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों के माध्यम से राज्यों के राजस्व संग्रहण में कमी आ सकती है। बजट अनुमानों (ब.अ.) की तुलना में 2008-09 (सं.अ.) में राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में गिरावट के चिह्न प्रकट हो रहे हैं। इसलिए राज्य सरकारों से यह अपेक्षित है कि वे बजट में राजस्व प्रवाहों की परिधि एवं आकार को बढ़ाने के अपने प्रयासों में तेजी लाएं, ताकि विकासात्मक गतिविधियों के लिए उचित निधियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

7.3 राज्य के स्वयं के कर राजस्व में गिरावट आना एक चिंता का विषय है। राज्यों को कर के मोर्चे पर सुधार करके राजस्व बढ़ाने के उपायों में तेजी लाने अर्थात स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क के तहत संग्रहणों को बढ़ाने के लिए संपत्ति को कम मूल्य पर आंकने की जांच करने सहित बिक्री कर के अंतर्गत छूटों को समाप्त करने पर विचार करना होगा। करेतर मोर्चे पर सकल राजस्व प्राप्तियों में राज्य का स्वयं का करेतर राजस्व जो लगभग 10 प्रतिशत है, अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में कम प्रतीत हो रहा है। इसलिए राज्य जल आपूर्ति टैरिफ को समयबद्ध तरीके से बढ़ाने, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पशु चिकित्सा सेवाओं में उपयोगकर्ता प्रभारों की शुरुआत करने और सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की लागत वसूल करने जैसे यथोचित उपयोगकर्ता प्रभारों को अधिरोपित करने के माध्यम से करेतर राजस्व पर अपनी निर्भरता बढ़ाने के प्रयास कर सकते हैं। केन्द्रीय बजट 2009-10 में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। जीएसटी का कार्यान्वयन

कर सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। तथापि, जीएसटी के कार्यान्वयन की तिथि आगे बढ़ सकती है। राज्य कर व्यय पर लगाम भी लगा सकते हैं जो कर संरचना के तरजीही प्रावधान के कारण परित्यक्त राजस्व है, जिसमें छूटें, कटौतियाँ, क्रेडिट, आस्थगन और घटी हुई कर दरें शामिल हैं, ताकि कर प्राप्तियों में गिरावट को रोका जा सके। राज्य सरकारें अपने कर प्रशासन को वाणिज्यिक करों के कम्प्यूटरीकरण, ऑनलाइन पंजीकरण तथा विवरणियों की ई-फाइलिंग और भूमि दस्तावेजों के कंम्प्यूटरीकरण जैसे उपायों के माध्यम से सशक्त करने पर विचार कर सकती हैं। ये उपाय राज्यों को उनके राजस्व आधारों को मध्यावधि और दीर्घावधि में बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं।

3. व्यय की गुणवत्ता

7.4 राज्य सरकारों की व्यय की प्रवृत्ति सब्सिडी, वेतन, मेहनताना और ब्याज भुगतान जैसे घटकों से उत्पन्न निहित संरचनात्मक बाधाओं से ग्रस्त है। चूँकि सामाजिक और आर्थिक संरचना के विकास में राज्यों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए गैर-जरूरी व्ययों में कटौती की जानी चाहिए। राज्यों में सार्वजनिक व्यय के आकार को पुनर्निर्धारित करते समय सर्वोच्च प्राप्य विकास दर, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सरकार की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सरकारी व्यय के सही आकार और सही संघटन को महत्व दिया जाना चाहिए। कई देशों ने 'सरकार पुनर्रचना' का एक विशाल प्रयास आरम्भ किया है ताकि कम होते बजटीय संसाधनों को उच्च प्राथमिकता वाले उपयोगों की दिशा में लक्षित किया जा सके। इसका संबंध आकार एवं क्षेत्रीय आबंटन दोनों ही से है जिनका उद्देश्य गलत आबंटन, अभिकल्पना और योजनाओं के कार्यान्वयन और सेवाओं को प्रदान करने से जुड़ी अक्षमताओं को दूर करना है। इस प्रक्रिया का आशय सुधारों को और गहराई तक ले जाना, मूलभूत सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी एवं सक्षम सुपुर्दगी की क्षमता को मजबूत बनाना है। इस पक्ष की महत्ता के मद्देनजर, तेरहवें वित्त आयोग ने पहली बार बेहतर आउटपुट और परिणाम प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता पर विचार करने को कहा है। उत्पादक प्रयोजनों के लिए व्यय का पुनः अभिमुखीकरण सार्वजनिक व्यय के प्रबंधन के सिद्धांतों के पालन को अनिवार्य बना सकते हैं। इस संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय अनुभव कुछ विभिन्न प्रकार की तकनीकों की अपेक्षा करता है जिनमें व्ययों को सीमित करना, व्ययों को प्राथमिकता क्रम देना, कार्यपालक कार्यों का और अधिक विकेन्द्रीकरण, बेहतर रोकड़ प्रबंधन एवं निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेवाओं को प्रदान करने में अधिक दायित्वशील बनना शामिल हैं। इनमें से कुछ सिद्धांतों को अपनाने से मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता आधारित व्यय प्रबंधन को सुकर बनाया जा सकता है।

4. नियम आधारित ढांचे का सशक्तीकरण

7.5 हाल ही के वर्षों मे राज्य सरकारों की राजकोषीय नीतियां नियम आधारित ढांचे द्वारा निर्देशित होती रही हैं। छब्बीस राज्यों के नियम आधारित ढांचे के अंतर्गत होने के चलते वर्ष 2007-08 तक राजकोषीय सुधार तथा समेकन प्रक्रिया सहज थी। तथापि वैश्विक वित्तीय संकट के प्रारंभिक प्रभाव के कारण वर्ष 2008-09 तथा वर्ष 2009-10 के दौरान राज्यों की राजकोषीय सुधार प्रक्रिया में विराम आया। इस संदर्भ में राज्य नियम आधारित अपने नीतिगत ढांचे के सशक्तीकरण पर विचार कर सकते हैं। राजकोषीय नियम संबंधी ढांचे का सशक्तीकरण करते समय राज्यों को यह ध्यान रखना होगा कि नीतिगत नियम के लक्ष्यों के बीच महत्वपूर्ण सामंजस्य स्थापित करना होता है तथा राज्य विशिष्ट परिस्थितियों तथा नीतिगत प्राथमिकताओं के कारण इन लक्ष्यों में काफी अंतर होता है। विश्वसनीयता और लचीलेपन के बीच आपसी समझौते को न्यूनतम स्तर पर रखने की दृष्टि से व्यवहार में अक्सर कई लक्ष्यों को एकसाथ रखा जाता है, परंतु यह महत्त्वपूर्ण है कि नियम परिचालन की दृष्टि सरल तथा पारदर्शी हो। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर राज्य नियम आधारित फार्मूले को निम्नलिखित तत्वों को शामिल करके सुदृढ़ करने पर विचार कर सकते हैं।

- एक प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति ढांचा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजकोषीय स्थिरता निधि की स्थापना शामिल हो;
- ऋण निर्वहनीयता प्राप्त करने के मद्देनज़र ऋण-जीएसडीपी तथा ब्याज भुगतान-राजस्व प्राप्तियों के लिए लक्ष्य। इसके अतिरिक्त प्राथमिक राजस्व शेष (पीआरबी) के लिए एक नियम निर्धारित किया जा सकता है अर्थात पीआरबी में आधिक्य हो तथा राज्यों के ब्याज भुगतान के लिए पर्याप्त हो;
- सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए राजस्व व्यय पर उप - लक्ष्य सहित व्यय की कुछ श्रेणियों यथा गैर-ब्याज राजस्व व्यय के लिए संख्यात्मक लक्ष्य;
- संस्थागत सुधार जैसे, समान बजटीय व्यवहार, पारदर्शिता नियमावली, लेखांकन प्रणाली, लोक व्यय प्रबंधन तथा परिणाम बजट बनाना; तथा
- स्वतंत्र लेखापरीक्षा तंत्र तथा पारदर्शी निरीक्षण तथा निगरानी।

5. राजकोषीय पारदर्शिता

7.6 राजकोषीय पारदर्शिता का संबंध सरकार के ढांचे तथा कार्यों के संबंध में जनता के समक्ष प्रकटीकरण से है। राजकोषीय पारदर्शिता सुशासन की महत्त्वपूर्ण पहली शर्त मानी जाती है। जैसे कि बाक्स IV.1 में चर्चा की गई है, बजट बनाने, किन्हीं राजस्व/व्यय शीर्षों के वर्गीकरण तथा विभिन्न महत्त्वपूर्ण संकेतकों की रिपोर्टिंग के संबंध में राज्यों में व्यापक विसंगति है। एकरूपता का अभाव तथा पारदर्शिता की अपर्याप्तता राज्य वित्त के विश्लेषण को सारहीन बना देती है। राज्य स्तर पर राजकोषीय आंकड़ों की पारदर्शिता संबंधी कुछ मुद्दों को मार्च 2009 में वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति (अध्यक्ष: डॉ. राकेश मोहन) ने भी उजागर किया था। इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश राज्यों ने एफआरएल प्रारंभ कर दिया है, पर्याप्त जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में अभी भी व्यापक अंतर है। अत:, जिन राज्यों में प्रकटीकरण तथा पारदर्शिता मानकों का अभाव है उन्हें कुछ अन्य राज्यों द्वारा स्थापित श्रेष्ठ मानकों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में उत्तरोत्तर सुधार करने की आवश्यकता है। राजकोषीय नीति विश्लेषणों की प्रभावोत्पादकता के लिए यह अनिवार्य है कि सभी राज्यों के राज्य वित्त के आंकड़े तुलनात्मक रूप में प्रकट किए जाएं।

6. अतिरिक्त नकदी शेष

7.7 हाल के वर्षों में राज्य स्तर पर अत्यधिक नकदी शेष के निर्माण ने राज्य सरकारों द्वारा नकदी प्रबंधन के मुद्दों को रेखांकित किया है। नकदी अधिशेष के निर्माण का संबंध निम्नलिखित से है: (1) राज्यों के राजस्व शेष; (2) केंद्र के नकदी प्रबंधन; तथा (3) रिज़र्व बैंक के खुले बाजार के परिचालन। राज्यों को नकदी अधिशेष राशि का निवेश भारत सरकार के आइटीबी अथवा एटीबी में करना होगा। चूंकि इन निवेशों पर राज्यों को प्राप्त होने वाली ब्याज दर कम है अत: उधार लेने के बजाए राज्य अपने जीएफडी के वित्तपोषण के लिए लिए नकद अधिशेष का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप में नकदी अधिशेष राशि का उपयोग पुराने ऊंची लागत वाले ऋण की चुकौती लिए भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य बेहतर नकदी प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण के प्रयास कर सकते हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि राज्यों की वास्तविक नकदी आवश्यकताओं के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार सरकारी विभागों में बेहतर सामंजस्य लाने के अलावा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित श्रेष्ठ पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य अत्याधुनिक पूर्वानुमान तथा निगरानी तंत्र अपनाकर नकद अधिशेष के निर्माण से बचने का प्रयास कर सकते हैं।

7. राज्य वित्त पर मंदी का प्रभाव तथा राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रम

7.8 राज्य सरकारों की समेकित राजकोषीय स्थिति ने हाल के वर्षों में महत्त्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किया है जो बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में केंद्रीय अंतरणों में बड़ा हिस्सा, राजस्व बढ़ाने के राज्यों के खुद के प्रयास, राजस्व व्यय के यौक्तिकरण तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में चक्रीय सुधार जिसने राज्य वित्त को प्रभावित किया है, के रूप में देखा जा सकता है। राज्यों ने वर्ष 1986-87 के बाद पहली बार वर्ष 2006-07 में 0.6 प्रतिशत का राजस्व अधिशेष दर्ज किया। वर्ष 2008-09 (बजट अनुमान) के लिए 25 राज्यों ने राजस्व अधिशेष का अनुमान किया था तथा 17 राज्यों ने अपने सकल राज्य देशी उत्पाद का 3.0 प्रतिशत से कम सकल राजकोषीय घाटे के रूप में बजटीय आकलन किया था। तथापि वर्ष 2008-09 (सं.अ.) के दौरान प्रमुख राजकोषीय संकेतकों ने गिरावट प्रदर्शित की, साथ ही 24 राज्यों ने राजस्व अधिशेष रिपोर्ट किया तथा नौ राज्यों ने अपने सकल राज्य देशी उत्पाद के 3.0 प्रतिशत से कम सकल राजकोषीय घाटा दर्ज किया। राजकोषीय सुधारों तथा समेकन की गति, जिसे वर्ष 2008-09 (संशोधित अनुमान) में झटका लगा था, वर्ष 2009-10 में राजकोषीय संकेतकों में और अधिक गिरावट के साथ जारी रहने की संभावना है। राज्य बजट के अनुसार घाटे के प्रमुख संकेतकों पर मंदी का प्रभाव वर्ष 2009-10 (ब.अ.) में और अधिक स्पष्ट होने का अनुमान है। वर्ष 2009-10 (ब. अ.) के दौरान 28 में से दस राज्य राजस्व अधिशेष वाले राज्यों से राजस्व घाटे वाले राज्यों की श्रेणी में चले जाने की संभावना है जबकि 22 राज्यों के बजट में जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात 3.0 प्रतिशत से अधिक है। जीएफडी-जीएसडीपी अनुपात में विकृति का प्रमुख कारण राजस्व पक्ष में मंदी के कारण राजस्व लेखा में आई गिरावट तथा विशेषत: प्रतिबद्ध व्यय के कारण राज्यों के राजस्व व्यय में हुई उल्लेखनीय वृद्धि प्रतीत होते हैं।

7.9 अर्थव्यवस्था में सकल मांग को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने राज्यों को सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) की 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त बाजार उधारियाँ एकत्र करने की अनुमति दे दी, इस प्रकार 2009-10 के दौरान जीएफडी की सीमा को बढ़ाकर जीएसडीपी का 4.0 प्रतिशत कर दिया गया (2008-09 के दौरान जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत)। चालू वैश्विक संकट ने राज्य स्तर पर भी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय नीति के फोकस में बदलाव ला दिया। राज्य सरकार के स्तर पर दिए गए राजकोषीय प्रोत्साहन के संबंध में सूचना अपर्याप्त

है। 2009-10 के लिए बजट दस्तावेजों एवं राज्य सरकारों के वित्त विभागों से एकत्र की गई सीमित सूचना से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केवल कुछ राज्यों ने ही समर्पित राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज लाने का फैसला लिया है। तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने गरीबों को समर्थक देने वाली कई योजनाओं की घोषणा की है और उद्योग और व्यापार के लिए कई योजनाओं को प्रस्तावित किया है, जिनका संबंध विशेष तौर पर, छोटे व्यापारियों, एसएसआइ इकाइयों से है, साथ ही स्टाम्प शुल्क, विलासिता कर, व्यावसायिक कर, मनोरंजन कर को घटाने और सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, स्थानीय सरकार और स्वास्थ और गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले लोगों के लिए सब्सिडी प्राप्त चावल से संबंधित सामाजिक कल्याण प्रोत्साहन पैकेज पर व्यय बढ़ाने और स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाली दरों पर बैंक ऋण देने, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनता और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निम्न आय समूहों के लिए विशेष आवास योजनाओं से है। तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तराखण्ड तथा जम्मू और कश्मीर आदि कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने समर्पित राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा नहीं की है, किन्तु 2008-09 (सं.अ.) की तुलना में 2009-10 में महत्वपूर्ण रूप से उच्च पूँजीगत व्यय का बजट तैयार किया है। तथापि आगमी अवधि में राज्यों की राजकोषीय स्थिति काफी हद तक इन बातों पर निर्भर होगीः (i) अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से उबरती है क्योंकि राज्यों के साथ-साथ केन्द्र का कर संग्रहण इसपर निर्भर करता है; और (ii) कितने प्रभावी ढंग से राजकोषीय गुंजाइश का उपयोग किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उबरने के संकेत मिलते ही राज्य सरकारों को उनके राजकोषीय उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करने एवं राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वापस लौटने की आवश्यकता होगी।

8. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) / राज्यों के स्वयं के वेतन आयोगों (एसपीसी) का कार्यान्वयन

7.10 छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। कई राज्यों ने 2008-09 और 2009-10 में छठे केन्द्रीय वेतन वेतन आयोग (सीपीसी) / राज्य वेतन आयोगों (एसपीसी) की सिफारिशों के कार्यान्वयन की घोषणा कर दी है। तथापि, राज्यों के वित्त पर छठे सीपीसी / एसपीसी का समग्र प्रभाव 2009-10 में परिलक्षित होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण वेतन से जुड़े बढ़े हुए व्यय के संबंध में राज्य सरकारों पर सकल देशी उत्पाद का लगभग 1.2 प्रतिशत भार आया था। छठे सीपीसी/एसपीसी के आंशिक कार्यान्वयन के बावजूद राज्यों ने 2008-09(सं.अ.) के दौरान समेकित राजस्व अधिशेष दर्ज किया और व्यापक रूप से यह समझा जाता है कि राज्य छठे सीपीसी/एसपीसी के कार्यान्वयन के प्रभाव को झेल पाने की बेहतर स्थिति में हैं। तथापि, छठे सीपीसी/ एसपीसी की सिफारिशों के प्रभाव को माप पाना कठिन है क्योंकि राज्यों में इसके कार्यान्वयन में एकरूपता नहीं है। वेतन के लिए प्रावधान करने के फलस्वरूप राज्यों के ऊपर अतिरिक्त भार आ गया है, इस तरह से विकासात्मक व्यय की संभावना सीमित हो गई है। छठे सीपीसी/एसपीसी कार्यान्वयन का प्रभाव राज्यों के वित्त पर प्रथम दो वर्षों में ज्यादा दिखाई दे सकता है (अर्थात 2008-09 और 2009-10 में)। इस संबंध में 2009-10 में राज्य वित्त में गिरावट की स्थिति को देखते हुए राज्य, जहां संभव हो, अपव्यय को कम करके बेहतर व्यय प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं।

निष्कर्ष

7.11 राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2008-09 (सं.अ.) में मुख्य घाटा संकेतकों में विकृति का संकेत देता है। ऐसी स्थिति कई कारकों के संयोजन के कारण बनी है जैसे, आर्थिक मंदी तथा इसके कारण राजस्व में आई कमी तथा राज्यों द्वारा प्रोत्साहन उपाय शुरू करने के कारण व्यय में हुई वृद्धि। बारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों तथा बजटीय नियमों ने राज्यों के लिए राजकोषीय धरातल का निर्माण करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है ताकि राज्य प्रोत्साहन पैकेज शुरू कर सकें। वैश्विक वित्तीय संकट तथा आर्थिक मंदी के प्रभावों को कम करने के लिए प्रति-चक्रीय उपायों के एक भाग के रूप में केंद्र सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान राजकोषीय घाटे की सीमा को राज्यों के सकल देशी उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक तथा बाद में 2009-10 में उनके सकल देशी उत्पाद के 4.0 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है। इस प्रकार उपलब्ध राजकोषीय सुविधा का उपयोग पूंजीगत निवेश करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

7.12 राजकोषीय सुधारों की निर्वहनीयता बनाए रखने के लिए व्यय की गुणवत्ता में सुधार महत्त्वपूर्ण है। उत्पादक उद्देश्यों के लिए व्यय के पुनर्विन्यास हेतु यह आवश्यक है कि लोक व्यय प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन किया जाए। व्यय प्रबंधन से नजदीकी रूप से जुड़ा मुद्दा सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी तथा मूल्यांकन का है। राजस्व में महत्तम वृद्धि पर आधारित राजकोषीय रणनीति भी व्यय के पैटर्न को विकासात्मक

उद्देश्य की ओर उन्मुख करने के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करती है। राज्यों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को कर प्रशासन में सुधार तथा प्रयोक्ता प्रभारों के यौक्तिकीकरण द्वारा बजट में राजस्व के क्षेत्र तथा आकार के विस्तार के प्रयासों को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

7.13 राज्य सरकारों की पहली चिंता राज्य वित्त को राजकोषीय सुधार के पथ पर वापस लाना है, परंतु यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बहाली की गति पर निर्भर करेगा। राज्य सरकारें प्रति-चक्रीय प्रावधान, ऋण संबंधी मानदंड तथा स्वतंत्र निरीक्षण और निगरानी तंत्र की शुरुआत करके नियम आधारित ढांचे का सशक्तीकरण कर सकती हैं।

7.14 वित्तीय बाजारों में हाल की उथल-पुथल ने अधिक पारदर्शिता तथा सूचना प्रकटीकरण के महत्त्व को सामने ला दिया है। राज्य सरकार के स्तर पर अपने सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु बाजार उधारियों पर राज्यों की बढ़ती निर्भरता के कारण राजकोषीय पारदर्शिता बहुत महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि हाल के वर्षों में, विशेषकर वित्तीय उत्तरदायित्व विधान के आने के बाद की अवधि में, राज्य बजटों में पारदर्शिता बढ़ी है परंतु अभी भी पारदर्शिता संबंधी मुद्दों की एक लंबी श्रृंखला का समाधान किया जाना है जिसमें - विस्तृत ब्रेक-अप सहित सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के आंकड़े, बकाया देयताएं, बजटेतर उधारियों के ब्यौरे, आंतरिक ऋण की अदायगी, मजदूरी तथा वेतन, परिचालन तथा अनुरक्षण, सब्सिडी तथा विभिन्न बजट दस्तावेजों की प्रकृति तथा विषयवस्तु में एकरूपता - शामिल है।

7.15 हाल के वर्षों में राज्य स्तर पर अत्यधिक नकदी शेष के निर्माण की स्थिति ने राज्य सरकारों द्वारा अत्याधुनिक पूर्वानुमान तथा निगरानी तंत्र अपनाकर बेहतर नकदी प्रबंधक के लिए क्षमता निर्माण हेतु प्रयास करने की जरूरत के मुद्दे को उठाया है। प्रभावशाली नकदी प्रबंधन तथा नकदी के अंतर्वाह तथा बहिर्वाह में बेहतर समन्वय करके राज्य अपने अतिरिक्त नकदी शेष को कम करने में समर्थ होंगे। एक संभावित विकल्प अतिरिक्त नकदी शेष का प्रयोग सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण अथवा पुराने ऊंची लागत वाले ऋणों की चुकौती के लिए हो सकता है। कुल मिलाकर, हाल में देखी गई राज्य वित्त की गिरती हालत को राजकोषीय सुधार के पथ की तीव्र डिजाइनिंग द्वारा शीघ्र ही रोकने की आवश्यकता है।